भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
**लोक सभा**
लिखित प्रश्न सं. †331
सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

## साहसिक पर्यटन का प्रचार और सुरक्षा

**†331. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय साहसिक पर्यटन रणनीति के कार्यान्वयन की स्थिति सहित साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) साहसिक पर्यटन क्षेत्र के अनुमानित बाजार आकार, वार्षिक वृद्धि दर, रोजगार क्षमता और समग्र पर्यटन क्षेत्र में योगदान सहित इसके विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को साहसिक पर्यटन गतिविधियों जैसे रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, ज़िपलाइनिंग और संबद्ध गतिविधियों में रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विनियमन, सुरक्षा मानकों और ऑपरेटरों के प्रशिक्षण में खामियों सहित इसके क्या कारण शामिल हैं; और

(ङ) अनिवार्य सुरक्षा दिशानिर्देशों को लागू करने, ऑपरेटरों के प्रत्यायन और पंजीकरण, बीमा कवरेज और प्रतिभागियों की सुरक्षा और देश में साहसिक पर्यटन के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में एकसमान विनियामक मानकों के प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): साहसिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधा में वृद्धि सहित पर्यटन के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की है।

भारत को साहसिक पर्यटन के लिए एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। यह रणनीति साहसिक गंतव्यों का विकास करने, साहसिक पर्यटन में सुरक्षा को बढ़ाने, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और विपणन पर केंद्रित है।

पर्यटन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ निकट समन्वय से उत्तरदायी साहसिक पर्यटन गाइड कोर्स संचालित करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से संपूर्ण भारत में साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और मानकीकृत ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से साहसिक पर्यटन संबंधी सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाने और उन्हें तैयार करने/अद्यतन करने के लिए इन दिशा-निर्देशों को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र को परिचालित किया गया है।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे साहसिक कार्य से संबंधित सभी कार्यकलापों पर कड़ी नजर रखें और सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियमों और लाइसेंसिंग संबंधी मानदंडों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

*****